भारत सरकार

कार्यालय आयकर आयुक्त,

आयकर भवन, रवींद्र पथ, हजारीबाग।

****

आयकर अधिनियम की धारा ८० (छ) (5) (V) के अधीन

आ दे श

हजारीबाग, दिनांक ०७वीं. जून, २०१२

"सृजन फाउन्डेशन", पी.टी.सी. के निकट, कुम्हार टोली, मटवारी, हजारीबाग - ८२५३०१ को इस कार्यालय के आदेश संख्या CIT/HZB/Tech//XII-16/80G-19/2003-04/184-86 दिनांक २७वीं. अप्रील, २००४ के माध्यम से आयकर अधिनियम, १९६१ की धारा ८०-छ के अधीन दिनांक ०१/०४/२००४ से ३१/०३/२००७ की अवधी के लिए मान्यता प्रदान की गई थी।

२. संस्था नें आवेदन प्ररूप सं. १०जी में दिनांक १३.१२.२०११ को दाखिल किया है। इस मामले में सहायक आयकर आयुक्त, अंचल-२, हजारीबाग का पत्र सं.C-2/H'bagh/80G/-2011-12/152 दिनांक १९.०४.२०१२ उचित माध्यम से प्राप्त हुआ है। सहायक आयकर आयुक्त, अंचल-२, हजारीबाग नें अपने प्रतिवेदन में इस संस्था को धारा ८०छ के अन्तर्गत्त मान्यता देने की अनुशंसा किया है जिसकी पुष्टी संयुक्त आयकर आयुक्त, परिक्षेत्र-२, हजारीबाग नें अपने पत्र सं.Joint CIT/R-2/HZB/2012-13/266 दिनांक २५.०४.२०१२ में किया है। आयकर अधिनियम, १९६१ की धारा ८०-छ के अन्तर्गत उक्त धारा और विहित नियमों में दी गई सीमाओं और शर्तों के अधीन संस्था को दिए गए दान दाताओं के पक्ष में छूट के लिए पात्र होंगे, पुनः मान्यता प्रदान की जाती है।

३. यह मान्यता प्रमाण पत्र **निर्धारण वर्ष २०१२-१३, २०१३-१४ एवं २०१४-१५** के लिए वैध है।

ह /-

[भी. बी. एक्का]

आयकर आयुक्त, हजारीबाग।

ज्ञापन सं.आ.आ./हजा./८०छ-१७/२०११-१२/ 212-14

दिनांक, हजारीबाग ०७वीं. जून, २०१२

प्रतिलिपि प्रेषित :-

१. सचिव, सृजन फाउन्डेशन", पी.टी.सी. के निकट, कुम्हार टोली, मटवारी, हजारीबाग - ८२५३०१।
२. संयुक्त आयकर आयुक्त, परिक्षेत्र - २, हजारीबाग।
३. सहायक आयकर आयुक्त, अंचल - २, हजारीबाग।

कार्यालय आयकर आयुक्त हजारीबाग

[बिजेन्द्र रजक]

आयकर अधिकारी, मु. (तक.)

कृते: आयकर आयुक्त, हजारीबाग।